न्यायालयः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :–श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 31 / 2024

प्रकरण दर्ज तिथि :– 05.03.2024

सीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 51

नर्बदा गर्ग पत्नि श्री कैलाशचंद, उम्र–वयस्क, जाति गरूड़ा, निवासी खारीया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज. वादीया

बनाम

1 प्रेमराज पुत्र श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी रावलपुरा

2. पांचीदेवी पुत्री श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी रावलपुरा

3. रमेश कुमार पुत्र श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी रावलपुरा

4. श्रवणलाल पुत्र श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी रावलपुरा

5. सीतादेवी पत्नि श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी रावलपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.

6. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला ब्यावर **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी

2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः 13.01.2025

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा खिवंल, पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि.निरिक्षक क्षेत्र रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074– 2077 के खाता सं. 15 खसरा सं. 2556 रकबा 0.7603 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम मे वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। उपरोक्त भुमि वादीया की खरीद शुदा भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2074–2077 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वाद पत्र के पद 1 में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 2556 मे वादीया का 19 / 24 वा हिस्सा बनता है जिस अनुसार वादीया की 0.6023 हैक्टेयर भुमि बनती है। उस हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार रेकर्ड दर्ज है, जो वादीया ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। एवं खसरा सं. 2556 मे प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 5 तक का शामलाती 5 / 24 हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। वादीया खरीद दिंनाक से आज दिंनाक तक मौके पर कब्जे अनुसार कब्जा काश्त कर रही है एवं मौके पर वादीया का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादीया एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि एक खाते मे शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एक जोत दर्शाई गयी है। मौके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भुमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 से 5 की वादीया की भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है। वादीया एवं प्रतिवादी के बीच कब्जे को लेकर एवं मार्ग को लेकर आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 5 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे समस्त खातेदारों का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। वादीया के कब्जे की भुमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए एंव उनसे बँटवाड़ा करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा है। वादीया ने खरीद के बाद कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से निवेदन किया कि वादपत्र के पेरा नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मे वादीया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

के हिस्से पर कब्जा नही करे एवं विवादित भुमि को अपने–अपने हिस्से अनुसार बँटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने वादीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादीया को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादीया के बार–बार बँटवारा करने की बात कहने पर प्रतिवादीगण ने बँटवारा करने हेतु मना कर दिया। इसलिए वादीया को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस कारण उक्त वाद तकास्मा का पेश किया जा रहा है। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बटवाडा करने का निवेदन किया एवं वादीया की भुमि मे दखलअदांजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण ने बटवाडा करने से मना कर दिया। वादीया ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बँटवारा मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेश मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिंनाक 13.02.2024 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादीया अपने कब्जे अनुसार विवादित भुमि का तकास्मा करवाने की अधिकारी है इसलिए दावा बटवाडा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादीया अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीया को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादीया को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आफॅ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादीया को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पडेगा। इसलिए वादीया प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे के अनुसार तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये बटॅवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रही है। बिनायदावा दिंनाक 13.02.2024 को वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को वादीया के हिस्से भुमि का कब्जे अनुसार विवादित भुमि का तकास्मा करने का कहने व प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादीया को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम खिवंल पटवार हल्का रायपुर द्वितिय मे पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है । उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादीया का वाद उनके हक में प्रथमदृष्टया सावित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादीया के पक्ष में है । जिस अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। डिक्री तकास्मा वादीया बहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा खिवंल, पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि.निरिक्षक क्षैत्र रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2074– 2077 के खाता सं. 15 खसरा सं. 2556 रक्बा 0.7608 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम मे वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। वादीया की खरीद शुदा भुमि है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 2556 मे वादीया का 19/24 वा हिस्सा बनता है जिस अनुसार वादीया की 0.6023 हैक्टैयर भुमि बनती है। उस हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार रेकर्ड दर्ज है, जो वादीया ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। एवं खसरा सं. 2556 मे प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 5 तक का शामुलाती 5/24 हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। विवादित भुमि मे वादीया एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काश्त है। परन्तु विवादित भुमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादीया के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादीया को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जावें। वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 12 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, अराईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादीया के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अड़चन उत्पन्न करे, और ना ही वादीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादीया द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के सम्मन की तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं इसीलिए इन प्रतिवादीगण, पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहते। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् अधिवक्तागण की सहमति से वादपत्र में बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिये गये।

प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/2175 दिनांक 31.12..2024 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं। अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा खिवंल, पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि.निरिक्षक क्षैत्र रायपुर के खसरा सं. 2556 रकबा 0.7608 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाबसिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाबसिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

नर्बदा गर्ग पत्नि श्री कैलाशचंद, उम्र–वयस्क, जाति गरूडा, निवासी खारीया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज. **वादीया**

बनाम

1 प्रेमराज पुत्र श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी सबलपुरा

2. पांचीदेवी पुत्री श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी सबलपुरा

3. रमेश कुमार पुत्र श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी सबलपुरा

4. श्रवणलाल पुत्र श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी सबलपुरा

5. सीतादेवी पत्नि श्री रतनाराम, उम्र–वयस्क, जाति मेघवाल निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.

6. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला ब्यावर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा खिवंल, पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि.निरिक्षक क्षैत्र रायपुर के खसरा सं. 2556 रकबा 0.7608 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

खर्चा इस मुकदमें मय नीज...................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ ....

सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक

......................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.01.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान		00	00
मीजान		12	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।